न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/25/2024	2024/61	22.08.2024	17.12.2025

1. विजय सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, जाति अहीर निवासी धवाला तहसील व जिला अलवर।
2. मुकेश यादव पुत्र श्री अमर सिंह, जाति अहीर निवासी धवाला तहसील व जिला अलवर।
3. ब्रह्मप्रकाश यादव पुत्र श्री अमर सिंह, जाति अहीर निवासी धवाला तहसील व जिला अलवर।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये उप तहसीलदार अलवर, जिला अलवर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार अलवर दिनांक 02.04.2024 प्र.सं. 79/24

उपस्थितः—

01—श्री देवकीनन्दन यादव —वकील अपी0
02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः—

यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अलवर के आदेश दिनांक 02.04.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के माध्यम से अपीलान्ट्स को ग्राम धवाला के खसरा नम्बर 222 रकबा 0.23 हैक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखली एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

विद्वान वकील अपी0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलाण्टान ग्राम धवाला तहसील व जिला अलवर (राज.) के निवासी है। अपीलाण्टान एवं ग्राम वासियान ने एक शिकायत माननीय जिलाधीश महोदय व मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 30.10.2020 को इस आशय का पेश किया कि गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम धवाला के खसरा नम्बर 219, 222, 292, 294, 297, 302 राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ता दर्ज है। जिस पर से अतिक्रमण हटाया जावे। इस रास्ते पर से ग्राम अलापुर व बास साहोडी धवाला के ग्राम वासियान आते जाते हैं तथा उक्त रास्ता अलापुर, धवाला, साहोडीबास की सीमाओं से लगता हुआ है तथा कदीमी रास्ता है जो ग्राम अलापुर चलते हुये खसरा नम्बर 264, 275, 276, 277, 282 गैर मुमकिन रास्ता जो जयपुर रोड से मिलता है जिस पर हम ग्राम वासियान वर्षों से आते जाते हैं तथा उक्त रास्ते पर अब कुछ प्रभावशाली, मुठमर्द एवं राजनैतिक लोगों ने अतिक्रमण कर अवरूद्ध कर दिया है जिससे हम ग्रामवासियान को उक्त रास्ता बन्द होने के कारण भारी परेशानी हो गई है तथा हम ग्रामवासियों ने जिन लोगों का नाम दिया वह इस प्रकार हैः—कैलाश चन्द, महेश चन्द कुमार पुत्रान दीनाराम, प्रेम कुमार, सुरेन्द्र योगेश पुत्रान श्री राम धनासिंह पुत्र शंकर राम वगैरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम धवाला, तहसील व जिला अलवर ने सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर अवरूद्ध कर दिया है तथा इस रास्ते से अपीलाण्टान के पढने वाले बच्चे बुजुर्ग आते जाते हैं।

खसरा नम्बर 219, 222, 292, 297, 302 राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन, रास्ता दर्ज है। इसके बाद माननीय तहसीलदार, अलवर द्वारा दिनांक 02.02.2021 को अपीलाण्टान

को धारा 91 का नोटिस दिया गया कि आराजी खसरा नम्बर 222 रकबा 23 ऐयर में से 3 ऐयर में अतिक्रमण कर रखा है जिसका जवाब अपीलाण्टान ने अपने जवाब में कहा कि खसरा नम्बर 222 रकबा 23 ऐयर हमारी खातेदारी के खसरा नम्बरों में मौके पर पैमाईश कराई जाकर हमको अवगत कराया जावे तथा हमको सीमाज्ञान में बताया गया कि सीमा ओवर लेप होने के कारण सीमाज्ञान नहीं कराया जा सकता तथा उसके बाद भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों के द्वारा मौके पर जाकर पैमाईश की गई। जिसमें कहा गया कि नक्शे में ओवरलेप होने के कारण सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता है। जो माननीय उच्च न्यायालय में पेश कर दी। पी.एल.पी.सी. की रिपोर्ट के बाद हम अपीलाण्टान को तहसीलदार, अलवर ने दिनांक 26.03.2024 को हम अपीलाण्टान को धारा 91 ए लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस दिया कि खसरा नम्बर 222 रकबा 23 ऐयर में से 3 ऐयर का ही जवाब हम अपीलाण्टान ने पेश किया है। जिसकी प्रति पेश है।

तहसीलदार द्वारा दिनांक 26.03.2024 के नोटिस का जवाब देरी के बाद हम अपीलाण्टान को किसी भी प्रकार से सूचित नहीं किया गया ना ही कोई निर्णय दिया गया। हम अपीलाण्टान द्वारा आम रास्ता न खुलने पर माननीय जिलाधीश महोदय, 19.07.2024 को हम मिले तो हमको बताया कि हम अलवर से दिनांक अपीलाण्टान के विरूद्ध नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.04.2024 को निर्णय हम अपीलाण्टान ने उक्त फेसले की नकल लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जिसकी नकल दिनांक 14.08.2024 को प्राप्त हुई तो हम अपीलाण्टान को निर्णय का पता लंगा कि फेसला नायब तहसीलदार, अलवर ने किया है जबकि नोटिस माननीय तहसीलदार, अलवर ने दिया था हमने जवाब नोटिस भी तहसीलदार को दे दिया था।

अतः प्रार्थना है कि अपीलाण्टान की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, अलवर का आदेश निरस्त किया जावे व खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुये निवेदन किया है, कि तहत अदालत नायब तहसीलदार अलवर द्वारा अपी0 को अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर प्रकरण में विधिवत निर्णय पारित किया गया है, प्रकरण में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपी0 खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2024 के विरूद्व दिनांक 20.08.2024 को पेश की गयी है जो करीब 04 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि राजस्व विभाग की रिपोर्टों में ही यह स्वीकार किया गया है कि नक्शे में 'ओवरलैपिंग' होने के कारण सटीक सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि जब तक किसी भूमि की सीमाओं का निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति या पैमाइश से स्पष्ट न हो, तब तक किसी व्यक्ति को 'अतिक्रमी' मानकर दण्डित नहीं किया जा सकता। यह तथ्य विचारणीय है कि अपीलान्ट्स ने स्वयं सार्वजनिक रास्ते को बचाने हेतु उच्च स्तर पर शिकायतें की थीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को पटवारी रिपोर्ट दिनांक 04.03.2024 के आधार पर धारा 91 का नोटिस दिया गया, का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा

अपीलाण्ट को खसरा नंबर 222 रकबा 0.23 है0 में से 0.03 है0 पर अतिक्रमी मानते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलाण्ट को संपूर्ण रकबे पर अतिक्रमी माना है, जो कि विरोधाभाष उत्पन्न करता है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त नोटिस का जवाब पेश कर अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराया कि ख0नं0 222 के साथ लगती हुई अपी0 की खातेदारी आराजी है तथा उन्होंने किस खसरा नंबर की जमीन में से 0.03 है0 अपनी खातेदारी में मिला लिया है। अपीलाण्ट द्वारा जवाब नोटिस में यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें मौके पर पैमाईश कराकर अवगत कराया जावे कि किस खसरा नंबर में ख0नं0 222 का रकबा शामिल है, जिससे वे अपना कब्जा/अतिक्रमण हटा सके। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की और बिना किसी ठोस पैमाइश के, उन्हीं को अतिक्रमी करार दे दिया जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वे सर्वप्रथम भू–प्रबन्ध विभाग के सहयोग से उक्त खसरा नम्बर 222 का तकनीकी रूप से सही सीमाज्ञान करवाएं। यदि सीमाज्ञान के उपरान्त स्पष्ट रूप से अतिक्रमण पाया जाता है, तो कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए एवं अपीलान्ट्स को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए नवीन आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)